राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(100)(71)/परि/नियम/मु./2013 |49215 जयपुर, दिनांकः 27.05.2014

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण मंजिली गाड़ियों के यात्री भाडे की संरचना का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है,

अतः अब राज्य सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 67 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त उप–धारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या एफ 7(100)(71)/परि/नियम/2002/II/2085, दिनांक 05.08.2011 को अधिक्रमित करते हुए राज्य परिवंहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को एतद् द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थातः–

राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तुरन्त प्रभाव से अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर चलायी जा रही मंजिली गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों के संबंध में अधिकतम यात्री भाड़ा नीचे उल्लिखित रूप से नियत करेगीः–

(1)	साधारण सेवा	85 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(2)	एक्सप्रेस/मेल सेवा	90 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(3)	सेमी डीलक्स सेवा	98 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(4)	डीलक्स सेवा	150 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(5)	वातानुकूलित सेवा	220 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री

स्पष्टीकरण संख्या –1

यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होंगी कि वयस्क यात्रियों से 5 कि.मी. की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री भाड़ा 5.00 रू. होगा और बालक यात्रियों के मामले में 2 रूपये होगा।

स्पष्टीकरण संख्या –2

"एक्सप्रेस/मेल सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार या यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञात ठहरने के स्थान तथा जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर ठहरने के सिवाय कम से कम 40 कि.मी. तक चल चुकने के पूर्व किसी भी स्थान पर नहीं ठहरती। एक्सप्रेस/मेल बसों में गद्दीदार सीटें लगी होंगी।

स्पष्टीकरण संख्या –3

(क) "सेमी डीलक्स" सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें:–

1. मुख्य स्तंभ केन्द्र 736.6 मि.मी. से अधिक है,
2. सीट फ्रेम विश्रामक किस्म के अच्छे उच्च पृष्ठ वाले हो किन्तु सिर विश्रामक की व्यवस्था नहीं हो। सीट फ्रेम की ऊँचाई सीट ग्रेब रेल सहित 1040 मि.मी. हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 762 मि.मी. हो,
4. विकसित किस्म का रबड फोम पृष्ठ विश्रामक के काम में लिया गया हो, तथा
5. सीट विस्तार प्रति यात्री 406.4 मि.मी. x 406.4 मि.मी.हो।

(ख) "डीलक्स सेवा" से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें:–

1. मुख्य स्तंभ केन्द्र 1435.10 मि.मी. से कम नहीं है,
2. सीटे या तो स्थिर, पीछे की ओर झुकावदार हो या समायोजन किस्म की हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 914.44 मि.मी. हो,
4. 8 पंखे, 5 ट्यूब लाईट और न्यूनतम दो एयर वेन्टीलेटर लगे हो,
5. सीट फ्रेम की ऊँचाई 1040 मि.मी. हो,
6. बॉडी सर्वतः अवरोधक (इंसुलेटेड) हो, तथा
7. सीट विस्तार प्रति यात्री 456 मि.मी. x 456 मि.मी. हो।

स्पष्टीकरण संख्या –4

यात्री भाडा 5 कि.मी. के प्रक्रमों (मंजिल) में संगणित किया जावेगा। इस प्रयोजन के लिए 0.5 कि.मी. से अधिक 5 कि.मी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंजिल) गिना जावेगा ओर 0.5 कि.मी. तक की दूरी को छोड दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण संख्या –5

संगणित यात्री भाडे की राशि 1.00 रू. के गुणक में निर्धारित की जावेगी और 49 पैसे या कम की राशि को छोड दी जायेगी तथा 49 पैसे से अधिक की कोई भी राशि 1.00 रू. तक पूर्णांकित की जावेगी।

उदाहरणार्थ:–

1.01 रू. से 1.49 रू.	=	1.00 रू.
1.50 रू. से 1.99 रू.	=	2.00 रू.

राज्यपाल के आदेश से

(नरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव (परि.)

क्रमांकः एफ 7(100)(71)/परि/नियम/मु./2013/49216-229 जयपुर, दिनांकः 27.05.2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.5.2014 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार।
5. महालेखाकार, लेखा परीक्षा-II, राजस्थान सरकार।
6. सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8. विधि एवं न्यायिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त अपर परिवहन आयुक्त जोन।
11. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
12. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (परि.)